भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2189
09.12.2024 को उत्तर के लिए

भारतीय कार्बन बाज़ार

2189. श्री दुष्यंत सिंह

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के जलवायु लक्ष्यों विशेष रूप से 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45 प्रतिशत तक कम करने के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होने में भारतीय कार्बन बाज़ार (आईसीएम) का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) भारतीय अर्थव्यवस्था को कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग के माध्यम से डीकार्बोनाइज करने के लिए आईसीएम द्वारा क्या तंत्र अपनाया गया है;

(ग) देश में विद्यमान अतिरिक्त ऊर्जा क्षेत्रों को कवर करने के लिए अपने दायरे का विस्तार करने में ऊर्जा बचत-आधारित बाजार आईसीएम का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा आईसीएम के अंतर्गत एक सुदृढ़ निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) प्रक्रिया विकसित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और योजना के सफल कार्यान्वयन में मान्यताप्राप्त कार्बन सत्यापनकर्ताओं (एसीवी) संबंधी परामर्श किस प्रकार से योगदान देता है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) दिसंबर, 2023 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को सौंपे गए तीसरी राष्ट्रीय संसूचना (टीएनसी) के अनुसार, भारत ने ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अपने आर्थिक विकास को पृथकरखना सफलतापूर्वक जारी रखा है, जिसके परिणामस्वरूप इसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता में कमी आई है। तत्संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:

अवधि	जीएचजी सूची वर्ष	वर्ष 2005 के स्तरों की तुलना में उत्सर्जन तीव्रता में कमी
2005-2010	2010	12%
2005-2014	2014	21%
2005-2016	2016	24%
2005-2019	2019	33%

कार्बन बाजार विकसित करने के लिए,वर्ष 2022 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) में आवश्यक संशोधन प्रस्तावित किए गए। इस प्रकार, भारतीय कार्बन बाजार के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन अधिनियम, 2022 के अंतर्गत विनियामक संरचना स्थापित की गई है, इस संरचना में ईसी अधिनियम की धारा 14 का खंड (य) केंद्रीय सरकार को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (ब्यूरो) के परामर्श से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है। उपर्युक्त के आधार पर, केंद्रीय सरकार ने दिनांक 28 जून, 2023 की अधिसूचना का.आ. 2825(अ)और दिनांक 19 दिसंबर, 2023 की संशोधित अधिसूचना का.आ. 5369(अ)के तहत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को अधिसूचित किया है। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) से यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस करार के तहत निर्धारित प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

(ख) भारत के संवर्धित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) लक्ष्यों की प्राप्ति को सुगम बनाने के लिए, भारत सरकार का विचार है कि कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के व्यापार के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस (जीएचजी) उत्सर्जन का मूल्य निर्धारण करके भारतीय अर्थव्यवस्था को डीकार्बोनाइज करने के उद्देश्य से भारतीय कार्बन बाजार (आईसीएम) के लिए एक सुदृढ़ रूपरेखा तैयार की जाए। सीसीटीएस दो तंत्रों अर्थात् अनुपालन तंत्र और ऑफसेट तंत्र को परिभाषित करता है। अनुपालन तंत्र में, बाध्य संस्थाएँ सीसीटीएस के प्रत्येक अनुपालन चक्र में निर्धारित जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता में कमी लाने संबंधी मानदंडों का अनुपालन करेंगी। अपनी जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता को निर्धारित जीएचजी उत्सर्जन तीव्रता के स्तर से भी कम करने वाली बाध्य संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के निर्गम के लिए पात्र होंगी। ऑफसेट तंत्र में, गैर-बाध्य संस्थाएँ कार्बन क्रेडिट प्रमाणपत्रों के निर्गम के लिए जीएचजी उत्सर्जन में कमी या इससे बचने या इसे हटाने के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत कर सकती हैं। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम से यूएनएफसीसीसी और इसके पेरिस करार के तहत निर्धारित प्रतिबद्धताओं के अनुरूप भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने में योगदान मिलने की उम्मीद है।

(ग) निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) स्कीम वर्ष 2012 में शुरू की गई थी और यह एक बाजार आधारित तंत्र है जिसका उद्देश्य उद्योगों (जिन्हें नामित उपभोक्ता या डीसी कहा जाता है) के लिए ऊर्जा खपत में कमी के विशिष्टलक्ष्य अधिसूचित करके ऊर्जा की अधिक खपत वाले उद्योगों की ऊर्जा दक्षता में सुधार करना है। भारत सरकार ने ऊर्जा की अधिक खपत वाले क्षेत्रों और नामित उपभोक्ताओं (डीसी) को निष्पादन, उपलब्धि और व्यापार (पीएटी) स्कीम से कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (सीसीटीएस) के तहत अनुपालन तंत्र में सुगमता से अंतरित करने के लिए एक विस्तृत परिवर्तनकालीन योजना विकसित की है। यह योजना लक्ष्यों के दोहराव से बचने हेतु राष्ट्रीय जलवायु लक्ष्यों के साथ निरंतरता, स्थिरता और संरेखण सुनिश्चित करती है। यह परिवर्तन शुरू करने के लिए,सरकार ने सीसीटीएस में शामिल करने हेतु ऊर्जा की अधिक खपत वाले नौ क्षेत्रों अर्थात्, एल्यूमीनियम, सीमेंट, इस्पात, कागज़, क्लोर-एल्केली, उर्वरक, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल और वस्त्र के क्षेत्रों की पहचान की है।

(घ) कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के तहत, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन (एमआरवी) अवसंरचना को शामिल करते हुए अनुपालन तंत्र के लिए विस्तृत प्रक्रिया विकसित की है। एमआरवी अवसंरचना के प्रमुख तत्वों में कार्बन प्रमाणपत्र जारी करने और उनका व्यापार करने के साथ-साथ लक्ष्य निर्धारण, निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रिया शामिल है। एमआरवी दिशानिर्देशों को तैयार करने की प्रक्रिया में परामर्शी दृष्टिकोण का पालन किया गया है जिसमें हितधारकों के परामर्श करना, संबंधित हितधारकों को मसौदा परिचालित करना शामिल है, जिसके आधार पर दस्तावेज़ों को अंतिम रूप दिया गया था। अंतिम रूप दी गई एमआरवी अवसंरचना को भारत सरकार द्वारा जुलाई 2024 में प्रकाशित किया गया था। एमआरवी अवसंरचना का एक महत्वपूर्ण पहलू सत्यापन प्रक्रिया है, जिसके लिए जीएचजी उत्सर्जन डेटा का वार्षिक सत्यापन आवश्यक है। सीसीटीएस स्कीम की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने हेतु, बीईई विशेष योग्यता मापदण्डों के आधार पर कार्बन सत्यापन एजेंसियों को मान्यता देगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा प्रमाणन संबंधी पात्रता मानदंडों और मान्यता प्राप्त कार्बन सत्यापन एजेंसी के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं, व्यापक हितधारकपरामर्श के बाद, तैयार की गई हैं और जुलाई 2024 में प्रकाशित की गई हैं।

****